

फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर
केस संख्या : 309/2023

परमफर्द बनाम अशोक

क्रम ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/8/23	दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये नोटिसे जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/9/23 को पेश हो। <p style="text-align: right;">(11) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
	18/09/23	पत्रावली पेश हुई B.O. साहब/कार्य कन्डोलेस. चाकसू जयपुर जनरल दिनांक 13/12/23 को पेश हो।	
	4/10/23	पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञे डा. पट्ट पेश करने पर तलब की गई। वकील वादी पत्थयं वादी उप. वकील वादी ने डा. पट्ट पेश किया कि पत्रावली के मध्य आपकी समझाइश ले राजीनामा हो गया है व वादी वाद को आज नहीं चलाया चाहता व दावा विज्ञे करना चाहता है। वकील वादी को फर्द पर विज्ञे डा. पट्ट स्वीकार होने पर दावा वादी विज्ञे स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वाद तकनीक दायित्व फर्दर हो। <p style="text-align: right;">(12) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	में दि. 11/10